

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार पटना

अधिघोषणा
प०सं०-14/डी०एल०ए० भोजपुर (गंगा पुल)-35/2013-2657/पटना-15, दिनांक-26/11/2013

चूँकि बिहार सरकार को यह प्रतीत होता है कि राजस्व ग्राम- जमालपुर, थाना नं० 126, चादर नं० 01, अंचल-कोईलवर, जिला भोजपुर में सार्वजनिक परियोजनार्थ बबुरा से डोरीगंज गंगा नदी में उच्चस्तरीय पुल निर्माण में बिहार राज्य पहुँच पथ के लिये निर्माण हेतु सार्वजनिक व्यय से जमीन लेने की आवश्यकता है।

अतः यह अधिसूचित किया जाता है कि उपर्युक्त परियोजनार्थ ग्राम- जमालपुर, थाना नं० 126 अंचल-कोईलवर, जिला भोजपुर में भूमि का एक टुकड़ा अपेक्षित है जो मानक माप से कमोवेश 11.735 एकड़ के बराबर होता है जिसका खेसरा निम्नवत है:-

पूर्ण खेसरा सं० 433, 432, 430, 417, 418, 419, 416, 414, 415, 530, 534, 533, 536, 577, 578, 579, 580, 431 एवं अंश खेसरा सं० 164, 165, 166, 167, 169, 170, 168, 152, 171, 172, 173, 83, 84, 85, 89, 90, 92, 100, 101, 99, 98, 120, 121, 137, 82, 147, 146, 143, 142, 138, 357, 358, 361, 362, 439, 435, 372, 373, 374, 406, 407, 408, 434, 428, 429, 427, 420, 522, 523, 524, 531, 532, 525, 526, 527, 612, 611, 539, 535, 537, 543, 529, 544, 528, 603, 815, 814, 582, 816, 574, 575, 576, 91, 102, 97, 96, 95, 426, 425, 413, 581

चौहद्दी:-

उत्तर - दौलतपुर, थाना नं० 111


दक्षिण - मौजा जमालपुर नं० 126, चादर 02

पूरब- खेसरा सं० 167, 169, 170, 171, 172, 173, 152, 84, 89, 90, 92, 100, 97, 96, 95, 98, 147, 146, 143, 142, 138, 357, 358, 361, 362, 372, 373, 374, 406, 407, 408, 413, 525, 526, 527, 611, 610, 603, 581, 582, 814, 815

पश्चिम - खेसरा सं० 164, 165, 166, 168, 152, 82, 83, 85, 89, 91, 92, 102, 101, 99, 120, 121, 137, 439, 435, 434, 433, 429, 436, 428, 427, 426, 425, 420, 522, 523, 524, 531, 532, 539, 537, 535, 543, 544, 545, 529, 528, 574, 575, 816, 815, 576

भूमि या भूमि के किसी भाग से नीचे पड़ने वाले कोयला, लोहा, पत्थर, स्लेट या अन्य किसी खनीजों एवं खानों की आवश्यकता नहीं है किन्तु खानों एवं खनीजों के वे भाग जिन्हें जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है उसके निर्माण के लिए खोदना या उपयोग में लाना हो तो ले लिए जायेंगे। यह अधिघोषणा अधिनियम 1-1894 की धारा 6 और अधिनियम 1885 की धारा 3 के खण्ड (i) के उपबंधों के अधिनियम जैसा कि भू-अर्जन बिहार संशोधन अधिनियम (ii) सन् 1960 के द्वारा संशोधित हुए हैं, उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है जिसका इससे संबंध हो। भूमि का नक्शा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, भोजपुर कार्यालय में देखा जा सकता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से


समाहता
भोजपुर आरा

ह०/-
सरकार के अवर सचिव।

प्रतिलिपि:- निदेशक सूचना एवं जन संपर्क विभाग, बिहार पटना को घोषणा प्रारूप के तीन प्रतियों के साथ समाचार पत्रों आज एवं हिन्दुस्तान में प्रकाशनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि प्रकाशित सूचना का प्रेस कतरन कृपया समाहर्ता, भोजपुर एवं इस विभाग को उपलब्ध करा दिया जाए।

प्रतिलिपि:- प्रभारी उप समाहर्ता, जिला-गजट शाखा-समाहरणलय भोजपुर को दो प्रतियों में जिला गजट को अगला असाधारण अंक प्रकाशनार्थ एवं उसकी दस प्रतियों में इस विभाग एवं जिला भू-अर्जन कार्यालय भोजपुर को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- समाहर्ता, भोजपुर, आरा / जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, भोजपुर, आरा को सूचनार्थ प्रेषित।


उपसचिव

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,
बिहार, पटना

